केन्द्रीय बजट तथा लघु उद्योग क्षेत्र

केन्द्रीय बजट तथा लघु उद्योग क्षेत्र

(2001-02 से 2003-04 बजट)

माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री के बजट भाषण (2001-02) से लिए गए उद्धरण।

- लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार की वचनबद्धता लगातार दर्शायी जाती रही है। इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा प्रधानमन्त्री जी ने 30 अगस्त 2000 को की थी।
- इस क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 1 सितम्बर 2000 से छूट सीमा को दुगुना कर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है।
- अगस्त 2000 की नई ऋण गारंटी योजना को चालू वर्ष में 100 करोड़ रु. की बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के अन्तर्गत बिना संपार्श्विक के ऋण की सीमा जो पहले 10 लाख रु. नियत थी, को बढ़ाकर 25 लाख रु. कर दिया गया है। 7 बैंकों ने पहले ही ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के साथ समझौता किया है जो योजना को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक क्रेडिट लिंक केपिटल सब्सिडी योजना (ऋण संयुजन पूँजी सहायता योजना) अक्तूबर 2000 में शुरू की गई जिसमें 12% पूँजी सहायता का अनुमान है। यह अनुमान है कि इस योजना के अन्तर्गत अगले 5 वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र को 5000 करोड़ रु. तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय निर्यात में 35% का योगदान उपलब्ध कराके हमारे लघु उद्यमियों ने अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता सिद्ध कर दी है। कुछ मुख्य निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में नए पूँजीनिवेश तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन में समर्थ होने के लिए अब यह प्रस्ताव है कि चमड़ा वस्तुएँ, जूते तथा खिलौने से सम्बन्धित अन्य 14 मदों को अनारक्षित कर दिया जाए।
- लघु इकाइयों के उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में 1 करोड़ रु. तक की छूट है। इस छूट का अभिप्राय वास्तव में छोटे उत्पादकों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। निम्न कुछ मदों के सम्बन्ध में, मैं इस छूट को वापिस लेने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें छूट का दुरुपयोग अधिक किया जा रहा है :

  — सूती धागा

  — बाल या रोलर बीयरिंग

  — निजी उपयोग हेतु आयुध तथा गोला बारूद

माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री के बजट भाषण (2002-03) से लिए गए उद्धरण।

- लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण सदैव ही अलाभान्वित व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से चिन्तित रहते थे।

  उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर, मैं देश के बहुत विपद्ग्रस्त जिलों के बेरोजगारों को रोजगार गारंटी उपलब्ध कराने हेतु जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना (जे पी आर जी वाई) को शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरे सहकर्मी, ग्रामीण विकास मन्त्री की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया जाएगा जो इन जिलों में रोज़गार सृजित करने के लिए एक प्रभावशाली कार्यक्रम को डिजाइन करेगा तथा क्रियान्वित करेगा। इस योजना को क्रियान्वित करने में के वी आई सी, वि. अ. (ल. उ.) का कार्यालय तथा अन्य अभिकरण पूरी तरह से शामिल होंगे।
- जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि व्यापार उदारीकरण की समाप्ति से लघु उद्योगों में अब प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो रही है। अत: लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु एक नया मार्ग पहले ही अपनाया जा चुका है।

- लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह आवश्यक है। लघु उद्योगों पर बकाया निवल बैंक ऋण 31 मार्च, 2000 में 45,789 करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च 2001 में 48,445 करोड़ रु. हो गया है। ऋण प्रवाह में और वृद्धि के लिए :
- मिश्रित ऋणों के लिए सीमा 2 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रु. कर दी है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 391 विशेष शाखाएँ लघु उद्योगों के लिए 30 सितम्बर 2001 से खोल दी गई हैं।
- संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए छूट सीमा 25000 रु. से बढ़ाकर 5 लाख रु. कर दी गई है। राष्ट्रीय इक्यूटी निधि के अन्तर्गत परियोजना लागत सीमा को 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. कर दिया गया है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु लघु उद्योगों को ऋण विस्तार की सुविधा पहले ही ऋण गारंटी योजना तथा ऋण संयुक्त पूँजी सहायता योजना के माध्यम से दी जाती है।
- किसान ऋण कार्ड योजना से प्रोत्साहित होकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब निर्णय लिया है कि वे लघु उद्यमी ऋण कार्ड योजना (एल यू सी सी) आरम्भ करेंगे ताकि वे छोटे व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों तथा लघु उद्यमियों, लघुव्यवसायियों तथा अन्य स्व: रोजगार प्राप्त व्यक्तियों जो अति लघु क्षेत्र के भी हैं, को सरलीकृत तथा उधारकर्ता मित्र ऋण की सुविधा उपलब्ध करा सकें।
- सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले साल मैंने जूतों, चमड़े के सामान तथा खिलौना क्षेत्रों में 14 मदों के अनारक्षण की घोषणा की थी। सरकार, आरक्षित सूची की कुछ अन्य मदों के सम्बन्ध में स्टेकहोल्डर के साथ विचार-विमर्श कर रही है। 50 बुनाई की मदों में, कुछ कृषि उपकरण, ऑटो-कलपुर्जों, कुछ रसायन तथा दवाइयाँ तथा अन्य को अब अनारक्षित किया जाएगा। मेरे सहकर्मी लघु उद्योग मन्त्री, इन मदों के सम्बन्ध में विस्तार से अलग घोषणा करेंगे।

वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय बजट : लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दे

- लघु उद्योगों की ऋण गारंटी न्यास की आय पर 5 वर्षों के लिए आयकर से छूट।
- सिडबी के स्रोत में वृद्धि करने तथा लघु उद्योग क्षेत्र को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 54 ई सी के अन्तर्गत सिडबी द्वारा जारी किए गए बांडों में पूँजी निवेश पर पूँजी लाभ में छूट की अनुमति है।
- नई औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए या विद्यमान इकाइयों की स्थापित क्षमता को कम से कम 25% तक बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल 2002 को या उसके बाद अधिग्रहीत नई संयंत्र तथा मशीनरी पर 15% की दर से अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति।

वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय बजट : लघु उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दे

(माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री के बजट भाषण से लिए गए अंश)

- ❐ लघु उद्योग एक जीवन्त क्षेत्र के रूप में औद्योगिक और निर्यात संवृद्धि दोनों में अपना योगदान देने तथा आय और रोजगार की सतत् संवृद्धि के लए महत्त्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय! जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ब्याज की घटती दरों का लाभ न तो कृषि को हुआ है और न ही लघु उद्योग को। लघु उद्योगों को सुरक्षित अग्रिमों के लिए पी एल आर की दर से 2 प्रतिशत अधिक और 2 प्रतिशन नीचे की ब्याज दर बैंड के बारे में भारती स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में की गई घोषणा और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा लिया गया निर्णय लघु उद्योग क्षेत्र को ब्याज की सामान्य दरों पर बैंक वित्त प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध लाभ और पात्रता, मंत्रालय के वेबासाइट पर तत्काल संदर्भ के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ❐ बड़े और लघु उद्योगों द्वारा लचीली अवस्थाओं में तेयार गुणवत्ता के उपभोक्तामाल के साथ प्रतियोगी मूल्यों पर विश्व मार्किट में पहुँच ही हमारा लक्ष्य है। सदस्यों को याद होगा कि गतवर्ष सरकार ने 50 से

अधिक वस्तुओं के अनारक्षण की घोषणा की थी। आरक्षित सूची में से कुछ विशेष वस्तुओं के संबंध में स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने के बाद लघु उद्योग आरक्षण से प्रयोगशाला रसायन और रीएजेंट, चर्म और चर्म के उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन और रसायनिक उत्पाद तथा पेपर उत्पाद आदि की कुछ अन्य 75 वस्तुओं को वापिस लेने का प्रस्ताव है। लघु उद्योग मंत्री इन वस्तुओं की घोषणा विस्तार सहित अलग से करेंगे। लघु उद्योग क्षेत्र में आगे निवेश की सहायता के लिए सरकार सीमित भागीदारी अधिनियम की जांच करेंगी।

केन्द्रीय बजट 2003-2004 के प्रमुख मुद्दे

क्रेडिट मुद्दा

- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा घोषित पी एल आर की दर से 2% अधिक और 2% नीचे की ब्याज दर बैंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अपने बैंक सदस्यों को इस के अनुपालन के लिए कहेगी।
- राज्यों से कहा गया है कि वे केन्द्र के स्वयं सहायता समूह और बैंक सम्पर्क कार्यक्रम को व्यापक सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दें, जो कि विश्व में एक बड़ा और तेज माइक्रो वित्त कार्यक्रम माना गया है।

नीतिगत मुद्दे

(i) अनारक्षण

- प्रयोगशाला रसायन और रिएजेंट, चर्म और चर्म के उत्पादों, प्लास्टिक उत्पादों, रसायन और रसायन उत्पादों और पेपर उत्पादों आदि 75 वस्तुओं का अनारक्षण। लघु उद्योग मंत्री इन वस्तुओं की विस्तार सहित घोषणा अलग से करेंगे।

(ii) सीमित भागीदारी

- लघु उद्योग क्षेत्र में आगे निवेश की सहायता के लिए सरकार सीमित भागीदारी अधिनियम की जाँच करेगी।

राजकोषीय मुद्दे

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क की छूट

- निम्न वस्तुओं पर उत्पादशुल्क की छूट है :
  - बाईसिकिल और उसके पुर्जे
  - खिलौने
  - बर्तन
  - धातु, चाकू, चमच आदि रसोईघर की वस्तुएं तथा इसी प्रकार की किचनवेयर/टेबलवेयर की वस्तुएं
  - बिना ब्रांड के सर्जिकल बैंडेज
  - रिकार्ड किए गए आडियो सी डी
  - लकड़ी की वस्तुएं
  - छाते
  - नकली जरी
  - एडेसिव टेप
  - चलने की छड़ी
  - राइडिंग करॉप्स और इसी प्रकार की अन्य वस्तु
  - विजिट्रज डाटाबेसमाइका की वस्तुएं
  - मौजैक टाइलें
  - शोधक स्पैक्टेकल लेंसों के काँच
  - फ्लिंट बटन
  - रजिस्टर, बहीखाते
  - मिट्टी तेल की लालटेन
  - उदीप्त गेस मेंटलों में प्रयोग के लिए ट्यूबलर निटेड गैस मेंटिल फैब्रिक
  - लोहा और इस्पात के निर्माण से उत्पन्न लोह-चून कॉपर/जिंक प्रगलन से उत्पन्न स्वर्ण
- जीवन रक्षक दवाएं उत्पादशुल्क से मुक्त हैं।

घटाया गया उत्पाद शुल्क

- सभी वस्त्रों/तैयार वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क 12% से घटा कर 10% किया गया। पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर भी उत्पादशुल्क घटाया गया। बिजली प्रयोग करने पर हस्त संसाधन क्षेत्र से उत्पाद शुल्क हटाया गया।
- पूर्ण कैंवेट ऋण पर उत्पादशुल्क 16% से घटाकर

8% किया गया :

— प्रेशर कुकर

— बिस्कुट

— उबली मिठाई, खांड की मिठाई (सफेद चाकलेट को छोड़कर)

— रफ अफथैलेमिक ब्लैंक

— डेंटल चेयर्स

— इलैक्ट्रिक्ल वाहन

— सुगन्धित सुपारी और

— निकोटिन पोलेक्रीलेक्स गम

- यांत्रिक और अर्ध-यांत्रिक क्षेत्र में निर्मित माचिसों पर विनिर्दिष्ट शुल्क दर कैनवेट क्रेडिट के बिना 8% की एक समान उत्पाद शुल्क द्वारा बदल दी गई है। माचिसों पर उत्पाद स्टैम्पों द्वारा शुल्क भुगतान करने की विशेष प्रक्रिया यथामूल्य उगाही के आ जाने के फलस्वरूप समाप्त की जा रही है। गैर-यांत्रिक क्षेत्र द्वारा बनाई गई माचिसों को उत्पादशुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है।

उत्पाद शुल्क लगाया जाना

- निम्नवस्तुओं पर कैनवेट सहित 8% उत्पाद शुल्क लगाया गया है :

— रिफाइंड खाद्य तेल (खुदा बिक्री के लिए ब्रांडड और पैक्ड)। इसे वित्त बिल 2003 पास करते समय 1 रू० प्रति किलो के विनिर्दिष्ट शुल्क द्वारा बदल दिया गया है।

— वनस्पति (वित्त बिल 2003 पास करते समय 1.23 रु. प्रति किलो के विनिर्दिष्ट मूल्य द्वारा बदल दिया गया।)

— ले फ्लैट ट्यूबिंग

— विनिर्दिष्ट प्रयोग के लिए रसायन अभिकर्मक

— लकड़ी मुक्त कणिकाएं या एग्रोवेस्ट से बने फाइब्र बोर्ड।

— न्यूनतम 75% गैर-परम्परागत कच्चे-माल से निर्मित पेपर और पेपर बोर्ड।

— श्वेत-श्याम टी.वी. के लिए पापुलेटिड प्रिंटिड सर्किट बोर्ड

लघु उद्योग उत्पाद शुल्क वापिस लिया गया

- निम्नलिखित वस्तुओं से लघु उद्योग उत्पाद शुल्क वापिस लिया गया—

— सेरामिक टाइलें (फैक्टरी के बाहर दत्तशुल्क टाइलों से बनी प्रिंटेड टाइलें उत्पादशुल्क से मुक्त हैं। वित्त बिल 2003 पास करते समय बिजली या पैट्रोलियम ईंधन प्रयोग न करने वाली इकाइयों द्वारा निर्मित टाइलों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटर कर 8% कर दिया गया :

— स्टेंलैस स्टीन पैटीज/पट्टे

— शॉडी और ऊनी धागा

— वुवन पाइल और चेनाइल फैब्रिक्स

— टफ्टेड फैब्रिक्स

— महीन रेशमी मलमल और नेट फैब्रिक्स

— तैयार वस्त्र (वित्त बिल 2003 पास करते समय बिना ब्रांड के तैयार वस्त्र विनिर्माण करने वाले लघु निर्माता अथवा 40 लाख रूपए की वार्षिक कुल बिक्री करने वाले ब्रांडयुक्त निर्माता को 30 लाख रुपए की पहली निकासी तक उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।)

लघु उद्योग उत्पादशुल्क छूट का विस्तार

लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होंगी :

— सूती अवशोषक लिंट के निर्माण में प्रयुक्त सूती फैब्रिक्स।

— बरसाती कोट अधोवस्त्र और रूमाल, टाई और दस्ताने जैसी कपड़े की वस्तुएं।

— हथ-करघा फैब्रिक से तैयार टैक्सटाइल वस्तुएं।

- लघु उद्योग छूट के अधीन 3 करोड़ रूपए की सीमा की पात्रता का परिकलन करते समय (निर्यात को

छोड़कर) छूट-प्राप्त माल का मूल्य शामिल किया जाएगा।

- जॉब कामगारों को उत्पादशुल्क रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) सीमाशुल्क

- सीमाशुल्क की ऊंची दर 30% से घटा कर 25% कर दी गई है। तथापि कृषि और डेरी उत्पादों पर यह छूट प्रभावी नहीं है।
- ओलियो-पाइन रेजिन पर सीमा शुल्क 15% से घटा कर 10% कर दिया गया है।
- विनिर्दिष्ट जीवन-रक्षक दवाओं और जीवन-रक्षक उपकरणों से सीमा शुल्क 25% से घटा कर 5% कर दिया गया है।
- विनिर्दिष्ट टैक्स टाइल मशीनरी और उसके पुर्जों पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- सीसे पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है।
- निकल पर सीमाशुल्क 5% और 15% से 10% एकीकृत कर दिया गया है, चाहे आयातक किसी भी श्रेणी का हो।
- आयातकों और निर्यातकों के लिए स्व-मूल्यांकन योजना शुरू की गई है।
- जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए कर सुविधाएं, जैव-प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिक्ल आधारित अनुसंधान और विकास कंपनियों को वार्षिक 20 करोड़ रुपए तक निर्यात बाध्यता नहीं है।

(iii) आयकर

- नए और मौजूदा उद्यमों के लिए आयकर अधिनियमकी धारा 80 आई सी के अधीन 10 वर्षीय टैक्स होलीडे। नए और मौजूदा उद्यमों में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और पूर्वोत्तर राज्यों के लघु उद्यम शामिल हैं तथा वे लघु उद्यम भी शामिल हैं जो अपने उद्यम का वास्तविक विस्तार करने हेतु अपने खाता मूल्य का न्यूनतम 50% निवेश संयंत्र और मशीनरी पर लगाएंगे।
- अधिकनियम की नई अनुसची XIII और XIV में शामिल विनिर्दिश जोनों/केन्द्रों में स्थापित उद्यमों के लिए छूट उपलब्ध है।
- सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 मूल्यांकन वर्षों के लिए 100% छूट।
- हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल : पहले 5 मूल्यांकन वर्षों में 100% छूट और शेष 5 मूल्यांकन वर्षों के लिए 25% छूट (कंपनियों के लिए 30%)
- धारा 10 सी और 80 आई बी (4) के मौजूदा प्रावधान अब प्रचलन में हैं।